संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/2008.

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर, 2008.

विषयः–पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण।

महोदय,

मुझे वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) के प्रथम प्रतिवेदन पर निर्गत संकल्प संख्या–वे0आ0–2–1313/दस–54(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1314/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित विस्तृत आदेश निम्नवत् जारी करने का निदेश हुआ है :––

1– प्रत्येक कर्मचारी जो दिनांक 01 जनवरी, 2006 को राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था, का वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार किया जायेगा,

परन्तु

कोई सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक अथवा वह पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक, वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

इसके अतिरिक्त ऐसे मामलो में जहां सरकारी सेवक को दिनांक 01 जनवरी, 2006 तथा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड आदि के कारण उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, वहाँ सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति, समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त करने की तिथि से संशोधित वेतन संरचना का विकल्प चुन सकता है।

स्पष्टीकरण–1 वर्तमान वेतनमान चुनने के विकल्प की अनुमति केवल एक वर्तमान वेतनमान के मामले मे होगी।

स्पष्टीकरण–2 उपर्युक्त के अनुसार विकल्प की सुविधा दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिये उपलब्ध नहीं होगी चाहे वह सरकारी सेवा में पहली बार आया हो अथवा दूसरे पद से स्थानान्तरित होकर आया हो, उसे केवल पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण–3 जहां कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूल नियम 22 या किसी अन्य नियम या पद के लिये लागू किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रुप से

(शेष)

धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा, जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलम्बित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

स्पष्टीकरण–4 ऐसे संवर्ग/पदों, जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 01 जनवरी, 2006 को विद्यमान वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से चुन लें।

विकल्प का चयन 2– (1) उपर्युक्त प्रस्तर–1 के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों को विकल्प का चयन लिखित रूप से निर्धारित प्रारुप पर (संलग्नक–1) देना होगा। यह विकल्प सम्बन्धित कर्मचारी के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी/वेतनपर्ची जारी करने वाले अधिकारी, जो भी सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका रखता हो, को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के अन्दर पहुँच जाना चाहिये।

परन्तु

(क) उस मामले में जब सरकारी सेवक इस शासनादेश के जारी होने की तिथि को अवकाश पर या प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा अथवा सक्रिय सेवा में देश से बाहर हो, उपर्युक्त विकल्प संबंधित अधिकारी के पास सरकारी सेवक के भारत में आने और यहां पदभार संभालने की तिथि के तीन माह के अंदर लिखित रूप से पहुंच जाना चाहिए, तथा

(ख) जहां कोई सरकारी सेवक दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निलम्बित हो तो ऐसे में वह काम पर वापस आने की तिथि से 3 माह के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है यदि उसके कार्य पर वापस आने की तिथि इस शासनादेश के निर्गत होने के बाद की हो।

(2) यदि सरकारी कर्मचारी का लिखित विकल्प उप प्रस्तर2(1) के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जायेगा कि उसने पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है और उसे 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार वेतन दिया जायेगा।

(3) एक बार दिया गया विकल्प ही अन्तिम होगा।

(4) जिन व्यक्तियों की सेवा दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई हों और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण

प्रवि>

सेवामुक्त कर दिये गये हों, सेवा त्याग (त्याग–पत्र), अनुशासनहीनता के कारण सेवा मुक्त या बर्खास्त किये गये हों, को भी विकल्प प्रस्तुत करने की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी।

(5) जो व्यक्ति दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद दिवंगत हो गये हों और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुनरीक्षित वेतन संरचना के लिये चयन का विकल्प नहीं दे सके उनके सम्बन्ध मे भी यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी, 2006 से या उसके बाद की किसी भी तिथि से, जो उनके आश्रितों को लाभप्रद हो, नई वेतन संरचना का चयन कर लिया है। यदि पुनरीक्षित वेतन संरचना उनके हक में है तो बकाया राशि के भुगतान के लिये तत्सम्बन्धी सक्षम अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायेगी।

(6) ऐसे व्यक्ति जो, दिनांक 01 जनवरी 2006 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य ऐसे अवकाश पर थे जिसके लिए अवकाश वेतन अनुमन्य था, को भी इस नियम के अनतर्गत विकल्प की सुविधा प्राप्त होगी।

वर्तमान परिलब्धियों की गणना

3– किसी कर्मचारी की ''वर्तमान परिलब्धियॉ'' निम्नलिखित को जोड़ कर निर्धारित की जायेंगी :–

(1) दिनांक 01 जनवरी, 2006 को वेतन निर्धारण हेतु पद के वर्तमान साधारण वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रुप से अनुमन्य प्रोन्नति/उच्च वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड जैसी भी स्थिति हो, में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को आहरित मूल वेतन या वेतन की निश्चित दर।

साधारण वेतनमान की दशा में मिल रही वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की राशि भी, यदि कोई हो, सम्मिलित होगी।

(2) उपर्युक्त प्रस्तर–3(1) के अधीन मूल वेतन और साधारण वेतन की दशा में वृद्धिरोध वेतनवृद्धि, यदि कोई हो, तथा देय प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) के योग पर 536 (1982=100) के औसत मूल्य सूचकांक पर दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता।

(3) उपर्युक्त मूल वेतन पर देय मंहगाई वेतन, यदि कोई हो, तथा

(4) उपर्युक्त मूल वेतन तथा देय मंहगाई वेतन, यदि कोई हो, के योग पर 536 (1982=100) के औसत मूल्य सूचकांक पर दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता।

4–

किसी भी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियों की गणना में निम्नलिखित मदें सम्मिलित नहीं की जायेंगी :––

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–9(25) के अधीन स्वीकृत विशेष वेतन।

(2) स्नातकोत्तर वेतन।

(3) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0)।

(4) ऐसा वेतन जो उपर्युक्त प्रस्तर–3(1) के अधीन नहीं आता है।

प्रवि

(5) वैयक्तिक वेतन, जो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भविष्य की वेतनवृद्धियों में सविलीन नहीं किया जा सकता हो, अर्थात जिन मामलों में वर्तमान आदेश के अनुसार उसे कम न किया जा सकता हो।

(6) अन्य कोई वैयक्तिक वेतन अथवा भत्ता।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण

5— **(1)** कोई सरकारी सेवक जिसने दिनांक 01 जनवरी, 2006 को पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प चुना है अथवा उपर्युक्त प्रस्तर–2(2) के अन्तर्गत माने गये विकल्प के अनुसार उसके मूल/मौलिक पद (जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा धारणाधिकार होता यदि धारणाधिकार निलम्बित न कर दिया गया होता) और स्थानापन्न पद पर अलग–अलग (यदि श्री राज्यपाल द्वारा कोई अन्य आदेश न दिये गये हों) निम्न प्रकार से वेतन निर्धारण किया जायेगा :–

(क)– सभी कर्मचारियों के मामलें में,

(I) वेतन बैण्ड/वेतनमान में वेतन, दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमन्य वर्तमान वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन की 186 प्रतिशत की धनराशि को अगले दस रुपयें में पूर्णांकित करके, निर्धारित किया जायेगा।

(II) यदि संशोधित वेतन बैण्ड/वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन संशोधित वेतन बैण्ड/वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि :–

जहाँ वर्तमान वेतनमान में दो या दो से अधिक कमिक स्तरों पर वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवकों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही स्तर पर वेतन निर्धारण की स्थिति हो तो ऐसे प्रत्येक दो स्तरों के लिए संशोधित वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारण हेतु एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये वेतन वृद्धि वेतन बैण्ड में वेतन पर आंकलित की जायेगी। उपर्युक्त वेतन वृद्धि देते समय ग्रेड वेतन को ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

वेतन बैण्ड–4 में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एच0ए0जी0) में वेतनमान के मामले में बंचिंग के कारण वेतन वृद्धियों का लाभ इस ग्रेड में विभिन्न वेतनमानों के सभी स्तरों को ध्यान में रख कर दिया जायेगा। एच0ए0जी0 वेतनमान के मामले में संशोधित वेतनमान में पूर्व–संशोधित वेतनमान की प्रत्येक दो स्तरों के लिये एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा।

उपर्युक्त ढंग से वेतन निर्धारण के फलस्वरुप यदि किसी कर्मचारी का वेतन पुनरीक्षित वेतन बैण्ड/वेतनमान में ऐसे स्तर पर निर्धारित हो जाता है जो पूर्व संशोधित वेतनमानों में उससे उच्च स्तर पर रहे कर्मचारी के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड/वेतनमान में निर्धारित वेतन से अधिक है तो उक्त दूसरे कर्मचारी का वेतन उस सीमा तक बढा दिया जायेगा जिस सीमा तक उसका वेतन पहले कर्मचारी के वेतन की

प्रति?

तुलना में कम हो।

(III) वेतन बैण्ड में वेतन उपर्युक्त तरीके से निर्धारित होगा। वेतन बैण्ड में वेतन के साथ वर्तमान वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन भी देय होगा।

(ख) उन कर्मचारियों, जो कि वर्तमान वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके लिये किसी विशेष वेतन/भत्तों के बिना ही कोई वेतन बैण्ड ग्रेड वेतन स्वीकृत किया गया है, ऐसे कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रस्तर–5(1)(क) के उप प्रस्तरों में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(ग) उन कर्मचारियों, जो कि वर्तमान वेतनमानों में मिल रहे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से विशेष वेतन यथा परिवार कल्याण प्रोत्साहन स्वरूप वैयक्तिक वेतन, सचिवालय विशेष वेतन/भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता आदि प्राप्त कर रहे हैं, तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर सादृश्य या उच्च दरों पर विशेष वेतन/भत्ता के साथ पुनरीक्षित वेतन सरंचना लागू कर दी गयी है, के मामले में वेतन, पुनरीक्षित वेतन सरंचना में उपर्युक्त प्रस्तर–5(1)(क) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित होगा। ऐसे मामलों में नयी दरों पर विशेष वेतन/भत्ते सम्बन्धित आदेशों में निर्धारित तिथि से, पुनरीक्षित वेतन सरंचना में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त अनुमन्य होंगे।

(घ) चिकित्सा अधिकारियों के मामले में उन चिकित्साधिकारियों, जिनको प्रैक्टिस बंदी भत्ता मिल रहा है, का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में उपर्युक्त खण्ड–(क) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा, सिवाय इसके कि ऐसे मामले में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को पूर्व संशोधित वेतनमान में प्रैक्टिस–बन्दी भत्ते पर अनुमन्य महंगाई भत्ता पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृष्य वेतन बैण्ड में वेतन का निर्धारण करते समय जोडा जायेगा। ऐसे मामलो में सम्बन्धित को अनुमन्य प्रैक्टिस–बंदी भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन सरंचना में निर्धारित वेतन के अतिरिक्त मिलेगा।

टिप्पणी–1 वेतनमानों के संविलियन के मामले में, संशोधित वेतन बैण्डों में वेतन का निर्धारण दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमन्य वर्तमान मूल वेतन के 186 प्रतिशत से प्राप्त धनराशि को अगले 10 रूपये में पूर्णांकित करते हुए निर्धारत किया जायेगा। संविलिन किये गये वेतनमानों का सादृष्य ग्रेड वेतन, उपर्युक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त दिया जायेगा।

टिप्पणी–2 यदि कोई सरकारी सेवक 01 जनवरी, 2006 को अवकाश पर हो और उसे अवकाश वेतन देय हो तो उसे दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसी प्रकार यदि कोई सरकारी सेवक 01 जनवरी, 2006 को अध्ययन अवकाश पर था तो उसे 01 जनवरी, 2006 अथवा विकल्प की तिथि से इन नियमों के अर्न्तगत वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

टिप्पणी–3 निलम्बित सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन सरंचना में उसका वेतन लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

टिप्पणी–4 जहां कोई सरकारी सेवक किसी स्थायी पद पर हो तथा नियमित आधार पर किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत हो एवं दोनो पदों पर लागू वेतनमानों का एक वेतनमान में ही विलय कर दिया गया हो तो ऐसे मामलों में वेतन का निर्धारण इस उपर्युक्त व्यवस्था के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही उसका मौलिक वेतन माना जायेगा।

इस टिप्पणी के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित, उन सरकारी सेवकों पर भी लागू होंगे जो स्थानापन्न रूप से वर्तमान में विभिन्न वेतनमानों में नियुक्त रहे है और उन वेतनमानों का पुनरीक्षित वेतन सरंचना में समान वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन/वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

टिप्पणी–5 यदि किसी सरकारी सेवक की वर्तमान परिलब्धियाँ "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हों तो यह अन्तर वैयक्तिक वेतन के रुप में देय होगा जिसे अनुवर्ती वेतन वृद्धियों में समायोजित कर लिया जायेगा।

टिप्पणी–6 जहां उपर्युक्त प्रस्तर–5(1)(क)(I) के अधीन वेतन निर्धारण में कोई कर्मचारी वर्तमान वेतनमान में 01 जनवरी, 2006 के तुरंत पहले एक ही संवर्ग के किसी कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में उसका वेतन ऐसे स्तर पर निर्धारित होता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन बैंड में उसी स्तर तक बढ़ा दिया जायेगा जिस स्तर पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो।

टिप्पणी–7 जहां कोई सरकारी सेवक 01 जनवरी, 2006 को वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहा हो और जिसके जुड़ने पर वर्तमान परिलब्धियॉ संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती हैं, तो अन्तर की धनराशि वैयक्तिक वेतन के रुप में देय होगी जिसे अनुवर्ती वेतन वृद्धियों में समायोजित किया जायेगा।

टिप्पणी–8 उन सरकारी सेवकों के मामले में जो कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व किसी सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका यह वैयक्तिक वेतन, संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा तथा वे 01 जनवरी, 2006 से या उसके आगे की उस अवधि के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में उस वैयक्तिक वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू न होने की दशा में प्राप्त करते। ऐसा वैयक्तिक वेतन, निर्धारण की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की उपयुक्त दर से उस अवधि तक के लिए दिया

प्रवि?

जाएगा, जिस अवधि तक कर्मचारी उसे प्राप्त करना जारी रखता।

स्पष्टीकरण– इस टिप्पणी के प्रयोजनार्थ, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की "उपयुक्त दर" से अभिप्राय वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन के उस जोड के 3 प्रतिशत से है जिस पर कर्मचारी का वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित होगा।

टिप्पणी–9 ऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ सरकारी सेवक की 01 जनवरी, 2006 के पहले किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ कर्मचारी से पुनरीक्षित वेतन संरचना में कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि 01 जनवरी, 2006 के बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसके कनिष्ठ सेवक को उच्च पद पर दिए जा रहे वेतन बैंड में वेतन के बराबर कर दिया जाए। यह वृद्धि कनिष्ठ सरकारी सेवक की पदोन्नति की तिथि से की जाएगी तथा वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी, अर्थात:–

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ सरकारी सेवकों का एक ही संवर्ग का होना चाहिये तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुए है वह संवर्ग में समान पद होने चाहिए।

(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के वर्तमान वेतनमान तथा संशोधित ग्रेड वेतन जिनमें वे वेतन पाने के हकदार है, समान होने चाहिए।

(ग) वरिष्ठ सरकारी सेवक पदोन्नति के समय कनिष्ठ सेवक के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हों।

(घ) उपर्युक्त विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 के प्रावधानों के उपयोग के कारण अथवा किसी पुनरीक्षित वेतन संरचना में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिए। यदि कनिष्ठ पद पर भी कोई कनिष्ठ अधिकारी वर्तमान वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में अग्रिम वेतनवृद्धि दिए जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त करता रहा है तो इस टिप्पणी के प्रावधानों को लागू करते हुए वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

5– **(2)** इस प्रस्तर के प्रावधानों के अधीन रहते हुए यदि स्थानापन्न पद पर निर्धारित किया गया वेतन मूल पद पर निर्धारित किये गये वेतन से कम है तो स्थानापन्न पद पर निर्धारित वेतन को मूल पद पर निर्धारित वेतन से अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

5– **(3)** शासनादेश का संलग्नक–2 सम्बन्धित वेतन बैण्ड में उस प्रारम्भिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आये कर्मचारियों का वेतन 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जायेगा।

01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद नवनियुक्त सरकारी सेवकों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण

6— दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद नवनियुक्त सरकारी सेवकों का सम्बन्धित वेतन बैण्ड में इस शासनादेश का संलग्नक–2 वेतन बैण्ड में उस प्रारम्भिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आये सेवकों का वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जायेगा।

यह 01 जनवरी, 2006 और इस शासनादेश के जारी होने की तिथि के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों के मामले में भी लागू होगा। ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान (अपुनरीक्षित) वेतनमानों में परिलब्धियाँ (अर्थात सेवा में आने की तिथि को लागू वर्तमान वेतनमान/वेतनमानों में मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता का योग) पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते के जोड़ से अधिक हो तो उस अंतर को वेतन में होने वाली अनुवर्ती वेतन वृद्धियों में वैयक्तिक वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि

7— पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के जोड़ का 03 प्रतिशत होगी, जिसे अगले 10 रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा। वेतनवृद्धि की राशि वेतन बैण्ड में मौजूदा वेतन में जोड़ी जायेगी।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तिथि

8— **(1)** वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात पहली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2006 को उन कर्मचारियों को प्रदान की जायेगी, जिनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख दिनांक 01 जुलाई, 2006 से 01 जनवरी, 2007 तक होगी।

(2) उन व्यक्तियों के मामले में पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि जनवरी, 2006 को देने की अनुमति होगी, जो 01, जनवरी 2006 को एक वर्ष से अधिक समय से वर्तमान वेतनमान का अधिकतम वेतन पा रहे थे। उसके बाद उन पर इस प्रस्तर की शर्ते लागू होंगी।

(3) उन मामलो में जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैण्ड के अधिकतम पर पहुंच जायेगा तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैण्ड में डाल दिया जायेगा। उच्चतर वेतन बैण्ड में स्थापन के समय एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा। उसके पश्चात वह उच्चतर बैण्ड में तब तक कमागत बढ़ता रहेगा जब तक कि वेतन बैण्ड में उसका वेतन पी0बी0–4 के अधिकतम तक नहीं पहुंच जाता और उसके पश्चात उसे और कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।

(4) ऐसे मामलों में, जहां दो वर्तमान वेतनमानों में से एक को दूसरे के लिये पदोन्नति वेतनमान होते हुए भी मिला दिया गया हो और अब

कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी अपना वेतन निचले वेतनमान में समान अथवा नीचे के स्तर पर पा रहा हो तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतन बैण्ड में वह वर्तमान उच्चतर वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ सरकारी सेवक के वेतन से अधिक वेतन ले रहा हो तो वरिष्ठ सरकारी सेवक के वेतन बैण्ड में वेतन उसी तिथि से उक्त कनिष्ठ सरकारी सेवक के वेतन के बराबर कर दिया जायेगा और इस प्रकार वह अपनी अगली वेतन वृद्धि इस प्रस्तर के अनुसार प्राप्त करेगा।

01 जनवरी, 2006 के बाद पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण

9— जहां सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी 2006 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो पुनरीक्षित वेतन संरचना में बाद की तिथि से उसका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होगा:—

वेतन बैण्ड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन, महंगाई वेतन और अपुनरीक्षित दरों पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 की दर से अनुमन्य महंगाई भत्ता को जोड़ते हुए किया जायेगा। यह संख्या अगले 10 में पूर्णांकित की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन बैण्ड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त अपुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन भी देय होगा। जहां कहीं कोई सरकारी सेवक विशेष वेतन अथवा प्रैक्टिस बंदी भत्ता ले रहा होगा तो, प्रस्तर—5 (1) (ख) (ग) अथवा (घ) में यथा विहित प्रकिया जिस रूप में लागू हो, का अनुपालन किया जायेगा, सिवाय इसके कि उक्त तारीख को यथा लागू मूल वेतन तथा महंगाई वेतन ही गणना में लिया जायेगा किन्तु महंगाई भत्ते का आंकलन 01 जनवरी, 2006 को लागू दरों के अनुसार ही किया जायेगा।

10— सरकारी सेवक जो 01, जनवरी 2006 से पहले किसी पद पर स्थानापन्न रुप से कार्यरत रहा हो परन्तु दिनांक 01 जनवरी, 2006 को उस पद पर न रहा हो, और उस पद पर बाद की तिथि में नियुक्त किया गया हो, तो बाद में नियुक्त होने पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन मूल नियम 22 के प्रावधानों का लाभ देते हुए इस प्रकार से निर्धारित किया जायेगा कि जैसे वह दिनांक 01 जनवरी, 2006 को उस पद पर था और उसने उस तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त करने का विकल्प दिया था।

01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन—निर्धारण

11— पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति की स्थिति में वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :—

(1) वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतन वृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पदोन्नति के पद के वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके

अवि?

साथ पदोन्नति पद का ग्रेड वेतन देय होगा। जहां पदोन्नति में वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहां भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतन वृद्धि जोडने के बाद भी जहां वेतन बैण्ड में आगणित वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

अवशेष भुगतान की प्रकिया

12— दिनांक 01 जनवरी, 2006 या 01 जनवरी, 2006 के बाद की तिथि जैसी भी स्थिति हो, को पुनरीक्षित वेतन संरचना में दी जाने वाले धनराशि में से उस धनराशि को घटाते हुए अवशेष निकाला जायेगा जो सम्बन्धित कर्मचारी ने उस दिनांक को वर्तमान वेतनमान में वेतन, मंहगाई वेतन तथा मंहगाई भत्ता के रुप में समय–समय पर आहरित किया हो। पुनरीक्षित वेतन सरंचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरुप देय अवशेष का भुगतान निम्न प्रकिया के अनुसार किया जायेगा:–

1— दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को देय वेतन (भुगतान 01 जनवरी, 2009 को देय) तथा महंगाई भत्ता का भुगतान नकद किया जायेगा।

2— दिनांक 01 जनवरी, 2006 से दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक के देय अवशेष का 20 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2008–09 में, 40 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2009–10 में तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010–11 में किया जायेगा।

3— उपर्युक्तानुसार प्रत्येक वर्ष किये जाने वाले अवशेष भुगतान का 80 प्रतिशत भाग सम्बन्धित सरकारी सेवक के भविष्य निर्वाह निधि खाते मे जमा किया जायेगा और अवशेष 20 प्रतिशत में से देय आयकर की धनराशि को काट कर शेष नकद भुगतान किया जायेगा। ऐसे सरकारी सेवक जिनकी देय आयकर की धनराशि 20 प्रतिशत से अधिक होती है, के मामलों में 20 प्रतिशत नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि को देय आयकर की सीमा तक आयकर भुगतान हेतु बढ़ा दिया जायेगा। ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता न खुला हो, को देय अवशेष उनके विकल्प के आधार पर एन0एस0सी0 के रूप में दिया जायेगा अथवा उनके लोक निर्वाह निधि (पी0पी0एफ) खाते में जमा कर दिया जायेगा।

4(1)— उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 में भुगतान किये जाने वाले अवशेष की धनराशि में से भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की जाने वाले धनराशि सम्बन्धित के भविष्य निर्वाह निधि खाते में दिनांक 01 जनवरी, 2009 से जमा मानी जायेगी।

4(2)— वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के माह अक्टूबर के पूर्व नहीं किया जायेगा। इस प्रकार आहरित धनराशि सम्बन्धित वर्ष के अक्टूबर माह के प्रथम दिवस को भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा मानी जायेगी।

4(3)— उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की गयी धनराशि का प्रत्याहरण जमा करने के दिनांक से

एक वर्ष तक नहीं किया जा सकेगा।

5— नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों/अधिकारियों को तद्नुसार देय अवशेष में से पेंशन योजना के अधीन देय राशि कि कटौती कर ली जाय और राज्य सरकार द्वारा भी अपना अंशदान तद्नुसार योजना में निवेशित किया जाये। शेष अवशेष का भुगतान उपरोक्तानुसार अन्य कर्मचारियों की भाँति किया जायेगा।

13— विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0 ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों, जिनको शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—1315/दस—59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, पर भी इस शासनादेश द्वारा की जा रही वेतन निर्धारण की व्यवस्था लागू होगी।

14— पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिये जाने वाले विकल्प का प्रारुप संलग्नक—1 पर, वेतन संरचना की सूची संलग्नक—2 पर तथा वेतन निर्धारण से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक—3 पर उपलब्ध हैं।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या—वे0आ0—2—1318(1)/दस—59(एम)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत :—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—I एवं II तथा (आडिट)— I एवं II, उ0प्र0, इलाहाबाद
2— प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4— महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8— उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9— इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10—गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक–1

विकल्प का प्रारूप

* (1) मैं.....दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता हूँ।

* (2) मैं.....अपने मूल/स्थानापन्न पद के निम्नांकित वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ, जब तक कि:–

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तिथि .....

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन बढ़कर.. .....न हो जाये।

मैं, वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द कर दूँ/छोड़ दूँ।

वर्तमान वेतनमान .....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
कार्यालय का नाम.....

दिनांक–
स्थान–
* यदि लागू न हो काट दिया जाये।

संलग्नक–2

(अ) वर्तमान वेतनमानों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन

वर्तमान वेतनमान		संशोधित वेतन संरचना		
क्रम सं0	वर्तमान वेतनमान	वेतन बैंड / वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड / वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
1	3	4	5	6
1	2550-55-2660-60-3200	-1S	4440-7440	1300
2	2610-60-3150-65-3540	-1S	4440-7440	1400
3	2650-65-3300-70-4000	-1S	4440-7440	1650
4	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैंड–1	5200-20200	1800
5	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड–1	5200-20200	1900
6	3200-85-4900	वेतन बैंड–1	5200-20200	2000
7	4000-100-6000	वेतन बैंड–1	5200-20200	2400
8	4500-125-7000	वेतन बैंड–1	5200-20200	2800
9	5000-150-8000	वेतन बैंड–2	9300-34800	4200
10	5500-175-9000	वेतन बैंड–2	9300-34800	4200
11	6500-200-10500	वेतन बैंड–2	9300-34800	4200
12	7450-225-11500	वेतन बैंड–2	9300-34800	4600
13	7500-250-12000	वेतन बैंड–2	9300-34800	4800
14	8000-275-13500	वेतन बैंड–2	9300-34800	5400
15	8000-275-13500 (जहाँ इस वेतनमान में सीधी भर्ती भी हो)	वेतन बैंड–3	15600-39100	5400
16	8550-275-14600	वेतन बैंड–3	15600-39100	5400
17	10000-325-15200	वेतन बैंड–3	15600-39100	6600
18	10650-325-15850	वेतन बैंड–3	15600-39100	6600
19	12000-375-16500	वेतन बैंड–3	15600-39100	7600
20	14300-400-18300	वेतन बैंड–4	37400-67000	8700
21	16400-450-20000	वेतन बैंड–4	37400-67000	8900
22	18400-500-22400	वेतन बैंड–4	37400-67000	10000
23	22400-525-24500	वेतन बैंड–4	37400-67000	12000
24	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

(ब) दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा इसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना।

वेतन बैंड–1 (5200–20200 रूपये)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
1800	5200	7000
1900	5830	7730
2000	6460	8460
2400	7510	9910
2800	8560	11360

वेतन बैंड–2(9300–34800 रूपये)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
4200	9300	13500
4600	12540	17140
4800	13350	18150

वेतन बैंड–3(15600–39100 रूपये)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
5400	15600	21000
6600	18750	25350
7600	21900	29500

वेतन बैंड–4(37400–67000 रूपये)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
8700	37400	46100
8900	40200	49100
10000	43000	53000
12000	47100	59100

संलग्नक–3

उदाहरण–1

समूह ''घ'' कर्मचारियों का प्रारम्भिक निर्धारण

1	वर्तमान वेतनमान	2550–55–2660–60–3200
2	पुनरीक्षित वेतन बैण्ड	4440–7440 रुपये
3	01 जनवरी, 2006 को वर्तमान मूल वेतन	2840 रुपये
4	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	5282 रुपए (5290 रुपए में पूर्णांकित)
5	पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में वेतन	5290 रुपये
6	बंचिग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैण्ड में वेतन	5290 रुपये
7	वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन	1300 रुपये
8	पुनरीक्षित मूल वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़)	6590 रुपये

उदाहरण–2

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण।

1	वर्तमान वेतनमान	4000–100–6000
2	पुनरीक्षित वेतन बैण्ड	वेतन बैण्ड–1 5200–20200 रुपये
3	01 जनवरी, 2006 को वर्तमान मूल वेतन	4800 रुपये
4	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	8928 रुपए (8930 रुपए में पूर्णांकित)
5	पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में वेतन	8930 रुपये
6	बंचिग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैण्ड में वेतन	8930 रुपये
7	वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन	2400 रुपये
8	पुनरीक्षित मूल वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़)	11330 रुपये

उदाहरण—3

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि देने के बाद वेतन निर्धारण

1	वेतन बैण्ड—2 में वेतन	9300
2	ग्रेड वेतन	4200 रुपये
3	वेतन+ग्रेड वेतन का योग	13500रुपये
4	वेतन वृद्धि की दर	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5	वेतनवृद्धि की राशि	405 रुपये 410 रुपए पूर्णांकित रुपये
6	वेतनवृद्धि के बाद वेतन बैण्ड में वेतन	9300+410 रुपये
7	वेतन वृद्धि के बाद वेतन	9710 रुपये
8	लागू ग्रेड वेतन	4200 रुपये